


22.08.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में कोई कार्यवाही
नहीं चाही जा रही है वादी व वादी अधिवक्ता को
बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं
आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने
के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

